तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल0आर04226/2024/जयपुर ग्रामीण** **श्रीमती जमना देवी बनाम शंकर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<u>एकलपीठ</u> **श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य** **<u>उपस्थित :</u>** श्री रामवतार, वकील अपीलांट रेस्पो0 बावजूद सूचना के अनुपस्थित — **निर्णय** **दिनांकः— 22.12.2025** अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा अपील संख्या 102/2018 बउनवानी जमनादेवी बनाम शंकर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16—04—2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नांगलपुरम चाकसू जिला जयपुर में कृषि खातेदारी भूमि मृतक श्रीनारायण पुत्र नानगराम की विरासत का नामांतकरण मृतक श्रीनारायण के अविवाहित फौत होने पर तहसीलदार, चाकसू द्वारा मृतक श्रीनारायण के पिता स्व0 नानगराम के समस्त वारिसान मंगलराम, शंकरलाल पि0 नानगराम, श्रवणी, गेन्दी पुत्रियां नानगराम, पांची देवी पत्नि भगवानसहायक, रणजीत, हरिनारायण पिता भगवान सहाय, मन्नी पुत्री भगवान सहायक, लाली देवी पत्नि जयनारायण जाति मीणा को विधिक वारिसान मानते हुए सजरा अनुसार मृतक श्रीनारायण के हिस्से का नामांतकरण खोलने हेतु दिनांक 08.02.2018 को आदेश पारित किये । तहसीलदार, चाकसू के उक्त निर्णय दिनांक 08.02.2018 के विरूद्ध अपीलांट श्रीमती जमनादेवी दत्तक पुत्री श्रीनारायण मीणा द्वारा अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष पेश की गई जो संभागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 16.04.2024 के द्वारा खारिज की गई है। संभागीय आयुक्त, जयपुर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है ।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल0आर04226 / 2024 / जयपुर ग्रामीण** **श्रीमती जमना देवी बनाम शंकर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई । विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस पेश कर कथन किया कि संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 16.04.2024 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलांट जमनादेवी ने दिनांक 22.08.2017 को न्यायालय तहसीलदार, चाकसू के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत् प्रार्थिया के हक में वसीयत के आधार पर नामांतकरण खोले जाने हेतु पेश किया जिसे प्रार्थना पत्र संख्या 31 / 2017 में शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रार्थीया को भी सुना गया तथा दिनांक 08.02.2018 को प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया तथा शंकर मीणा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिसकी प्रथम अपील संख्या 102 / 2018 बउनवानी श्रीमती जमनादेवी बनाम शंकर व अन्य संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष पेश की गई जो निर्णय दिनांक 16.04.2024 को खारिज की गई है । उक्त दोनों आदेश विधि विरूद्ध, तथ्यों के विरूद्ध, मूल दस्तावेजों के विरूद्ध है क्योंकि अपीलांट वसीयत के आधार पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर स्व0 श्रीनारायण के हिस्से की कृषि भूमि का नामांतकरण अपने नाम खुलवाने की हकदार है । खसरा नंबर 357, 361, 372, 373, 453 से 459, 465 से 471, 527, 527 / 845, 528, 674, 675, 689, 690 कुल किता 28 कुल रकबा 6.97 है0 वाकै ग्राम नांगलपूरण, तहसील चाकसू का खातेदार स्व0 नानगा मीना था जिसकी मृत्यु संवत् 2028 में होने पर उक्त आराजियात स्व0 नानगा मीना के विधिक वारिसान चारों पुत्रों भगवान मीना, मंगला मीना, श्रीनारायण मीना व शंकर मीना के में खोला गया तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधि0. 1956 के तहत पुत्रियों का पैतृक सम्पति में हिस्सा नहीं होने की वजह से पुत्रियों के नाम नामांतकरण नहीं खोला गया था । इस प्रकार श्री नारायण मीना के हक में उक्त आराजियात में विरासत नामांतकरण खुलने के बाद श्री नारायण मीना का 1 / 4 हिस्से होकर वह रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हो गया था तथा श्री नारायण मीना को अपने हिस्से में विरासत से प्राप्त अपनी 1 / 4 हिस्सा की आराजियात का वसीयत करने का पूर्ण विधिक अधिकार है । श्री नारायण मीना ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की संपूर्ण भूमि की वसीयत श्रीमती जमना देवी के हक में कर दी थी इसलिये जमना देवी मीना उक्त वसीयत के आधार पर अपने नाम नामांतकरण खुलवाने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल0आर04226/2024/जयपुर ग्रामीण** **श्रीमती जमना देवी बनाम शंकर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की हकदार थी । श्री नारायण मीना के हिस्से की आराजियात पर वर्तमान उसकी दत्तक पुत्री जमना मीना का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । नामांतकरण खुलने के 35 वर्ष बाद स्व0 नानगा मीना की पुत्रियां श्रवणी व गैंदी ने सन् 2011 में एक दावा बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का उपखण्ड अधिकारी, चाकसू के न्यायालय में पेश किया जिसके विचाराधीन रहते भगवान मीना का स्वर्गवास हो गया तथा दिनांक 28.12.2011 को श्री नारायण मीना का भी स्वर्गवास हो गया तथा दिनांक 08.12.2016 को भगवान मीना के वारिसान तथा शंकर मीना ने जरिये राजीनामा अपने–अपने हिस्से में से आधी भूमि श्रवणी व गैंदी के हक में हस्तातंरण कर दी तथा मंगला मीना व श्री नारायण मीना के हिस्से की जमीन सुरक्षित रखी गई । राज0काश्त0अधि0 1955 में धारा 39 के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि खातेदार आसामी अपने भूमि क्षेत्र में अपने हित को या हित के भाग को उसके व्यक्तिगत कानून के अनुसार जो उस पर लागू होता है, वसीयतनामा के द्वारा वसीयत में दे सकता है । उक्त अधि0 की धारा के अनुसार भी अपीलांट के पक्ष में निष्पादित वसीयत विधिसम्मत् है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जावे तथा प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में श्री नारायण मीना के 1/4 हिस्से की भूमि 1.74 है0 का नामांतकरण अपीलांट के पक्ष में खोले जाने के आदेश प्रदान करावें । विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2002 (2) पेज 786, आर0आर0डी0 1984 पेज 391, आर0आर0टी0 2003 (1) पेज 691, आर0एल0डब्ल्यू0 2005 (2) सुप्रीम कोर्ट पेज 206, आर0आर0टी0 2008 (1) पेज 241 एवं आर0आर0टी0 2008 पार्ट–2 पेज 1284 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया । हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान रेस्पो0 शंकर वगैरह ने न्यायालय तहसीलदार, चाकसू, जिला जयपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश कर मृतक खातेदार श्री नारायण मीना पुत्र स्व0 नानगाराम जाति मीना की मृत्यु दिनांक 28.12.2011 को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल0आर04226 / 2024 / जयपुर ग्रामीण** **श्रीमती जमना देवी बनाम शंकर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अविवाहित होना बताते हुए मृतक श्री नारायण मीना की खातेदारी भूमि का विरासत नामांतकरण विधिक वारिसान के नाम खोलने का निवेदन किया । उक्त प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते वर्तमान अपीलांट श्रीमती जमनादेवी ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि मृतक खातेदार श्री नारायण मीना द्वारा उसके हिस्से की आराजियात की वसीयत उसके पक्ष में निष्पादित की गई है । अतः श्री नारायण मीना की आराजियात का नामांतकरण वसीयत के आधार पर श्रीमती जमना देवी के पक्ष में खोला जावे । तहसीलदार, चाकसू ने उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 08.02.2018 के द्वारा अपीलांट श्रीमती जमना देवी का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए मृतक खातेदार श्री नारायण मीना के हिस्से की आराजियात का नामांतकरण मूल खातेदार स्व0 नानगराम के समस्त विधिक वारिसान मंगलराम, शंकरलाल पि0 नानगराम, श्रवणी, गेन्दी पुत्रियां नानगराम, पांची देवी पत्नि भगवान सहाय, रणजीत, हरिनारायण पि0 भगवान सहाय, मन्नी पुत्री भगवान सहाय, लाली देवी पत्नि जयनारायण, जाति मीना को विधिक वारिसान मानते हुए खोलने के आदेश पारित किए है । तहसीलदार के उक्त निर्णय से स्पष्ट है कि मृतक खातेदार श्रीनारायण की मृत्यु अविवाहित हुई है । अपीलांट ने अपने पक्ष में वसीयत के आधार पर श्री नारायण मीना की आराजियात का नामांतकरण खोलने का कथन किया है । तहसीलदार, चाकसू ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया है कि स्व0 श्री नारायण मीना को भी जरिये विरासत भूमियां प्राप्त हुई है जो पुश्तैनी है । इस प्रकार उक्त सम्पति मृतक खातेदार श्री नारायण मीना की स्वअर्जित नही होकर पैतृक सम्पति होने के कारण श्रीमती जमनादेवी के पक्ष में किये गये वसीयत के आधार पर उसे कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है । श्रीमती जमनादेवी वसीयत ग्रहिता उसके पक्ष में निष्पादित वसीयत के संबंध में सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है । हम तहसीलदार, चाकसू के इस निष्कर्ष से सहमत है क्योंकि विवादित आराजियात मृतक खातेदार श्री नारायण मीना की स्वअर्जित न होकर पुश्तैनी आराजियात है । श्री नारायण मीना के अविवाहित फौत होने पर उसके समस्त विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामांतकरण खोले जाने का प्रावधान है जब तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी वारिस को अयोग्य नहीं ठहराया गया हो । इसी तथ्य को ध्यान में रखकर तहसीलदार, चाकसू ने मृतक खातेदार श्री नारायण मीना की आराजियात का नामांतकरण मृतक खातेदार के समस्त विधिक वारिसान के नाम खोले जाने के आदेश पारित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल0आर04226/2024/जयपुर ग्रामीण** **श्रीमती जमना देवी बनाम शंकर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किये है जिसमें किसी प्रकार की विधि एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाये जाने से प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी इस आदेश की पुष्टि की है जिसमें भी हमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य पायी जाती है। परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.2024 एवं तहसीलदार, चाकसू द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.2018 यथावत् रखे जाते है । तहत न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	